दिनांक ....2.08.12 का पत्र ... / XYZ

13/08/14	पत्रावली मूल केस वादी द्वारा किस्म कायम जाने पर प्रस्तुत हुई। चूंकि मूल केस किस्म कायम हो चुका है इसलिये आवेदन विचार चलने योग्य नहीं है किस्म का अंकित हो चुका है अतः आवेदन विचारार्थ अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो। [illegible]	श्रवण लाल द्वारा [illegible] पहचान [illegible] (एस. राजेन्द्र सिंह शेखावत)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़